

फर्ट अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

कमला बनाम मुखराम

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 39 सन-2019

तारीख हुजम	हुजम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुजम का लक्षित व जारी हुए
29.03.2019	<p>प्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 58/49 के खसरा न0 300 की 4.1480 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 15.05.2019 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर</p> <p>15/5/19</p> <p>20/5/19</p>


212 RTI प्र स. 33/19

कमला पीड मुखराज डार

28 5/19

कपील वाडीया उपण वाडीया स्वयं
 उपण वाडीया न प्रपत्र प्रस्तुत कर
 गिनहन किया कि हमारा परिवार
 के साथ राजीनामा हो गया है तथा
 हम उपरोक्त अनवानी दावा प्रपत्र
 चलाना नहीं चाहते हैं। अतः दावा
 प्रपत्र मुलाबिक राजीनामा खारिज
 करमाया जावे। वाडीया के गिनहन
 पर वाडीया प्रपत्र खारिज किया
 जाता है। वाडीया को पहिचान
 श्री नरेन्द्र विशाल जाधव शडक ने
 को ही प्रजावली मन्त्र से एक होकर
 दारकीत उपत्र हो। निर्णय सुनया गया।

(6)
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
 जेहर


 डा. पी.
 कमला
 परमावती
 (Name)
 28/5/19

28/5/19